न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 128/2019

1 श्योपाल उम्र 51 वर्ष पुत्र हेमा।
2 रणजीत उम्र 41 वर्ष पुत्र हेमा समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी नाईयों की तन नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कमला देवी उम्र 44 वर्ष पुत्री हेमा पत्नी धुड़ाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी नाईयों की तन नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद जीवन नगर सांवली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर।
2 सोहनी उम्र 48 वर्ष पुत्री हेमा पत्नी गणेशराम जाति जाट निवासी मियां की ढ़ाणी तन शिश्यूं तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 हल्का पटवारी नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर।
4 उप पंजियक धोद तहसील धोद जिला सीकर।
5 तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर।
6 शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. शाखा कांसली तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 31.10.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. टी.आई. प्रार्थना पत्र संख्या 18/2018 बउनवानी कमला देवी बनाम श्योपाल आदि आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.08.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा संख्या 18/2018 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 1 व 2 के एकाकी कब्जा काश्त खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 2.67 हैक्टेयर वाके ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में अपीलांट संख्या 1 व 2 का नाम 2/3 हिस्सा पर दर्ज था शेष 1/3 हिस्सा पर अपीलांट की माता अमरी का नाम दर्ज था। जिसका स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त 1/3 हिस्सा पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 992 के द्वारा दिनांक 05.07.2017 को दर्ज हुआ है परन्तु वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता के जीवनकाल से ही अपीलांट संख्या 1 व 2 के मध्य मौके पर 1/2,1/2 हिस्सा के अनुसार बंटी हुई भूमि है जिस पर अपीलांट संख्या 1 व 2 का ही अर्सा करीब 20 वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर कब्जा है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1,2 विवाहित होकर अपने ससुराल में आवास निवास करती है लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने पति के बहकावे में आ गयी जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष बिना कब्जा के ही उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 2.67 हैक्टेयर वाके ग्राम नेतड़वास में 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ की एवं उक्त वाद पत्र के साथ ही टी.आई. आवेदन प्रस्तुत किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जिसमें विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन जारी किया। उसके पश्चात अपीलांट्स ने जवाब एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। परन्तु विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के आवेदन को स्वीकार एवं काउण्टर क्लेम को अस्वीकार कर दिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा 4 ता 6 को रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने के सम्बंध में तादौराने वाद प्रतिबंधित कर दिया इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है जिनकी खातेदारी की सम्पूर्ण कृषि भूमि पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर दिया जबकि योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में सम्पूर्ण कृषि भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के सम्बंध में वाद पत्र ही नही था प्रार्थीगण गरीब किसान है जिनकी खातेदारी की कृषि भूमि पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी स्थगन से प्रार्थीगण राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली सुविधाये एवं किसान केडिट कार्ड आदि की सुविधाओ से भी वंचित हो गये। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादी प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन धारा 212 के अनुतोष में विवादित भूमि खसरा नम्बर 457 वाके ग्राम नेतडवास तहसील धोद जिला सीकर के सन्दर्भ में 1/4 हिस्से का ही अनुतोष चाहा गया है। सम्पूर्ण भूमि का अनुतोष ही नही चाहा गया है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना सम्पूर्ण आराजी पर विचाराधीन निर्णय से स्थगन जारी कर दिया है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 2.67 हैक्टेयर वाके ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर अकेले प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की न होकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता हेमा पुत्र ईशर के खाते कब्जे काश्त की भूमि थी जिसकी मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण संख्या 496 दिनांक 05.09.2007 को प्रार्थीगण तथा हेमा की पत्नी अर्थात् प्रार्थीगण व अप्रार्थीया संख्या 1 व 2

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की माता अमरी देवी के नाम तस्दीक किया गया, जबकि अप्रार्थीया हेमा की जायंदा पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस थी जो अपने माता के जीवनकाल में 1/5 हिस्से पर व मां के स्वर्गवास के पश्चात वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त है प्रार्थीगण गलत खातेदारी की आड़ में किसान केडिट कार्ड की राशि प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थीया की की पैतृक भूमि होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। विवादित भूमि अविभाजित है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन धारा 212 के अनुतोष में विवादित भूमि खसरा नम्बर 457 वाकें ग्राम नेतडवास तहसील धोद जिला सीकर के सन्दर्भ में 1/4 हिस्से का ही अनुतोष चाहा गया है। सम्पूर्ण भूमि का अनुतोष ही नही चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के आवेदन के अनुतोष को परीक्षण किये बिना ही विवादित भूमि खसरा नम्बर 457 सम्पूर्ण की ताफैसला वाद मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश पारित कर दिया है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। रेस्पोडेंट प्रार्थी केवल चाहे गये अनुतोष के अनुसार खसरा नम्बर 457 में 1/4 हिस्से तक स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं विवादित भूमि खसरा नम्बर 457 वाके ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के 1/4 हिस्से की भूमि के सन्दर्भ में उभयपक्ष को ताफैसला वाद मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर